उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-4/2015/742/तीस-4-2015-135/89
लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-56 के उपनियम (8) के खण्ड (1) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-223/तीस-4-2014-135/89, दिनांक 26 मई, 2014 में आंशिक संशोधन करके सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नामनिर्दिष्ट सदस्यों के कार्यकाल का पर्यवसान करते हैं।

अनुसूची

क्रमांक	संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम
1	2	3
1.	श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट- अवेरनी जनपद मथुरा। सदस्य	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आगरा।
2.	श्री श्याम मोहन यादव, पुत्र श्री राधेश्याम यादव, निवासी ग्राम-जोगियाबारी, पोस्ट- हरिहरपुर बिदौली, मीरजापुर। -सदस्य	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मीरजापुर ,
3.	श्री दीपराज यादव, पुत्र श्री देवराज यादव, निवासी-16/9, आर.सी. शिवनगर कालोनी, वाराणसी। -सदस्य	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण वाराणसी। ,

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-4/2015/742(1)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 08 मई, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-4/2015/742(2)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार, निवासी- ग्राम व पोस्ट- अवेरनी जनपद मथुरा।
11- श्री श्याम मोहन यादव, पुत्र श्री राधेश्याम यादव, निवासी- ग्राम-जोगियाबारी, पोस्ट- हरिहरपुर बिदौली, मीरजापुर।
12- श्री दीपराज यादव, पुत्र श्री देवराज यादव, निवासी-16/9, आर.सी. शिवनगर कालोनी, वाराणसी।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.742/XXX-4-2015-135/89 dated, May 08, 2015.

Notification
No.4/2015/742/ xxx-4-2015-135/89
Lucknow: Dated, May 08, 2015

In exercise of the powers under sub-section (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with clause (i) of sub-rule (8) of rule 56 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor, in partial modification of Government notification no.223/xxx-4-2014-135/89 Dated May 26, 2014 is pleased to determine the term of the nominated members mentioned in column-2 of the Schedule below of the Regional Transport Authorities mentioned against each in column-3 of the said Schedule with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

SCHEDULE

Sr. No.	Members of the Regional Transport Authority	Name of the Regional Transport Authority
1	2	3
1.	Sri Krishna Murari Agarwal S/O Sri Rakesh Kumar, Village & Post- Awerani Distt. Mathura -Member	Regional Transport Authority, Agra
2.	Sri Shyam Mohan Yadav S/o Sri Radheyshayam Yadav, R/o Village Jogiabari, Post- Hariharpur Bidauli, Mirzapur -Member	Regional Transport Authority, Mirzapur
3.	Sri Deepraj Yadav S/o Sri Devraj Yadav R/o 16/9, R.C.Shivnagar Colony, Varanasi -Member	Regional Transport Authority, Varanasi

By Order,

Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।